<u>समाचार</u>

# 14 अप्रैल को बंद रहेगा पशुवध कार्य

कोरबा 10 अप्रैल 2026 – नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत संचालित समस्त वधशालाओं एवं मांस विक्रय की दुकानों को दिनांक 14 अप्रैल 2026 को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। उक्त तिथि में किसी प्रकार का पशुवध न होगा और न ही मांस का विक्रय होगा। निगम द्वारा 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के विशिष्ट अवसर पर पशुवधगृहों व मांस विक्रय की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखने तथा किसी भी प्रकार का पशुवध न करने और न ही मांस का विक्रय करने के निर्देश समस्त पशुवधगृह संचालकों व संबंधित दुकानदारों को दिए गए हैं। उक्त तिथि में यदि किसी भी दुकान में मांस का विक्रय किया जाता है तो मांस जप्त कर संबंधित के विरूद्ध यथोचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।